राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3)

क्र.:–एफ 4(16)ग्रावि/ग्रारो/नरेगा/06 जयपुर, दिनांक : 18/8/09

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना,
समस्त (राज.)।

विषयः– **राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत मेट के नियोजन एवं प्रशिक्षण बाबत।**

संदर्भः– **विभागीय समसंख्यक पत्र दिनांक 15.06.09**

महोदय,

उक्त संदर्भित पत्र द्वारा मेट के नियोजन बाबत विस्तृत निर्देश प्रसारित किये गये थे। उक्त निर्देशों के क्रम में निम्न अतिरिक्त निर्देश प्रसारित किये जाते हैं:–

1. मेट के चयन हेतु जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा समस्त ग्राम पंचायतों के लिए मेट का पैनल बनाने के लिए स्थानीय समाचार पत्रों में विज्ञापन दिया जाकर आवेदन मांगे जावे। विज्ञापन की प्रति प्रत्येक ग्राम पंचायत के नोटिस बोर्ड एवं सार्वजनिक स्थलों पर चस्पा किये जावे।
2. मेट पैनल के लिए प्राप्त आवेदनों में से वरियता के आधार पर ग्राम पंचायतवार पैनल बनाया जावे। जिसमें आवेदन करने वाली महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछडा वर्ग, सामान्य आवेदकों का वर्ग एवं शिक्षा के आधार पर वरियता देते हुए अस्थाई मेट पैनल बनाया जावे।
3. **मेट के चयन में महिलाओं का आरक्षण दंडवत (Horizontal) 50 प्रतिशत होगा। इसके उपरांत भी यदि चयन हेतु महिलाएं उपलब्ध हों तो इन्हें वरियता दी जावे।**
4. **अनुसूचित जाति के लिए 16 प्रतिशत एवं अनुसूचित जनजाति के लिए 12 प्रतिशत सामान्य क्षेत्र में तथा टीएसपी क्षेत्र में जहां पर अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 50 प्रतिशत से अधिक है, में अनुसूचित जनजाति का आरक्षण कम से कम 50 प्रतिशत होगा।**
5. यदि किसी ग्राम पंचायत में व्यापक प्रचार–प्रसार के उपरांत भी पर्याप्त मात्रा में अनुसूचित जाति/ जनजाति के अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होते हैं तो उन्हें विभागीय पत्र दिनांक 27.03.08 के बिन्दु संख्या–3 में उल्लेखित प्राथमिकताओं के अनुसार भरा जा सकेगा। उक्त प्राथमिकताओं/ आरक्षण को दृष्टिगत रखते हुए मेट के चयन हेतु वरियता सूची तैयार की जावे।
6. **मेट के चयन में यह ध्यान रखा जावे कि पंचायती राज संस्था के निर्वाचित जनप्रतिनिधि से इसका प्रत्यक्ष संबंध न हो।**
7. उस पुरूष/ महिला को वरियता दी जावे, जिन्होंने स्वयं नरेगा के तहत श्रमिक के रूप में पर्याप्त कार्य किया हो।

8. मेट के प्रशिक्षण के आयोजन में निम्न बिन्दुओं को ध्यान में रखा जावे एवं तदनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जावे:–

- अस्थाई मेट पैनल के आधार पर क्लस्टर अनुसार प्रथम प्रशिक्षण आयोजित किया जावे, जिसमें जिला स्तर एवं ब्लॉक स्तर पर नियोजित किये गये प्रशिक्षकों द्वारा नरेगा के विषय में सम्पूर्ण जानकारी के साथ–साथ मेट के कर्तव्य एवं अपेक्षित जिम्मेदारियों से अवगत कराया जावे।
- प्रथम प्रशिक्षण के उपरांत उक्त पैनल के मेटों का द्वितीय स्तर पर नरेगा कार्यस्थल पर ले जाकर भौतिक रूप से कार्य की माप, लीड, लिफ्ट एवं मिट्टी के प्रकार आदि से ब्लॉक स्तर के तकनीकी अधिकारियों द्वारा गहन प्रशिक्षण दिया जावे।
- उक्त दो प्रशिक्षणों में भाग लेने वाले आवेदकों का तृतीय स्तर पर परीक्षा के रूप में अंतिम प्रशिक्षण दिया जावे। परीक्षा लिखित एवं मौखिक दोनों प्रकार से आयोजित की जावे।
- **उक्त प्रशिक्षण में सफल हुए मेटों को प्रशिक्षण प्रमाण–पत्र जारी किया जावे एवं ब्लॉक स्तर से कार्यक्रम अधिकारी द्वारा अपने हस्ताक्षर से फोटोयुक्त मेट पहचान पत्र जारी किया जावे।**

9. अंतिम रूप से चयनित मेटों को मेट के कर्तव्य एवं जिम्मेदारी की पुस्तिका एवं पैमाइश हेतु किट उपलब्ध कराई जावे। जिसमें उनके द्वारा निष्पादित किये जाने वाले कर्तव्यों का पूर्ण एवं सरल भाषा में उल्लेख हो।
10. मेटों का नियोजन रोटेशन के आधार पर 3 माह के लिए किया जावे।

कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करावें।

भवदीय

(जी. एस. सन्धु)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि :–

1. निजी सचिव, मा. मंत्री/ राज्य मंत्री महोदय ग्रा. वि. एवं पं. राज विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रा. वि. एवं पं. राज विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रा. वि. एवं आयुक्त, ईजीएस, जयपुर।
4. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त राजस्थान को उपरोक्तानुसार कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

18/8/09

परि.निदे एवं उपसचिव(ईजीएस०)